क्र. एफ-2-5-2020-सात-शा.7

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इकतीस), (बत्तीस), (चौंतीस), (पैंतीस), तथा (छत्तीस), के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 140,142,146,147,155 तथा धारा 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्रमांक 2457-62-सात-ना (नियम), दिनांक 18 मई 1961, तथा अधिसूचना क्रमांक 3814—2502—सात—ना (नियम), दिनांक 11 अगस्त यथासंशोधित, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 189-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2804–5041–सात-ना (नियम), दिनांक 12 जून, 1961 द्वारा यथासंशोधित, अधिसूचना क्रमांक 190–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 अधिसूचना क्रमांक 191-6477-सात-ना (नियम) 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2549—5163—60—सात—ना (नियम) दिनांक 25 जून 1962, द्वारा यथा संशोधित क्रमांक जुलाई, अधिसूचना 1988, दिनांक 8-87 एफ-1-4-सात-शा 192—6477—सात—ना—(नियम) दिनांक 25 जून 1962 अधिसूचना क्रमांक 2545—5163—सात—ना (नियम) दिनांक 26 जून 1962 द्वारा यथा संशोधित क्रमांक 1841—2882—सात्त—ना दिनांक 2 जून, 1972 अधिसूचना क्रमांक 336—सीआर—742—सात—ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना क्रमांक 194–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र 18 अगस्त, 2020 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :-

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिमाषाएं. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "भूलेख पोर्टल" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल जिसके माध्यम से भू—राजस्व का आनलाइन भुगतान किया जा सकेगा;
 - (ख) "चालान" से अभिप्रेत है ऐसा फार्म जो बैंक अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है;
 - (ग) ''संहिता'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
 - (घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ड़) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (च) ''अनुसूचित बैंक'' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक ; तथा
 - (छ) ''धारा' से अभिप्रेत है संहिता की धारा ।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हों, तथा संहिता में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए दिए गए हों।
- 3. मू-राजस्व के भुगतान की रीति. (1) उप-नियम (2) तथा (7) के अध्यधीन रहते हुए भू-राजस्व का भुगतान निम्न में से किसी रीति से किया जा सकेगा--
 - (क) भूलेख पोर्टल के माध्यम से सरकारी खजाने में सीधे भुगतान करके;
 - (ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुसूचित बैंक के माध्यम से जमा करके:
 - (ग) ग्राम के पटेल को या जहां पटेल नियुक्त नहीं है, हल्के के पटवारी को भुगतान करके; या
 - (घ) सेक्टर के नगर सर्वेक्षक को भुगतान करके।
- (2) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा उप-नियम (1) में विहित भुगतान की रीतियों में से किसी रीति को बंद कर सकेगी।

- (3) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उप—िनयम (1) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त धन को भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऐसी अवाध के भीतर सरकारी खजाने में जमा करे जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।
- (4) भूलेख पोर्टल के माध्यम से भुगतान के मामले में भुगतान करने वाला व्यक्ति ऑनलाईन चालान भरेगा। उसे ऐसे पोर्टल पर "भू—राजस्व भुगतान" के आइकॉन को क्लिक करना होगा। आनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्ररूप—एक में एक इलेक्ट्रोनिक रसीद जनरेट की जाएगी।
- (5) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक को भू—राजस्व का भुगतान किए जाने के मामले में भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्ररूप—दो में, दो प्रतियों में भुगतान की रसीद तैयार करेगा तथा एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी।
- (6) किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में प्ररूप-तीन में तीन प्रतियों में चालान के साथ भुगतान किया जाएगा। धन प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा बैंक की मुद्रायुक्त एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।
- (7) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी वर्ग को भू—राजस्व की ऐसी श्रेणियों का संग्रहण करने के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना हो जाने पर भू—राजस्व की ऐसी श्रेणियों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को किया जाएगा, किसी अन्य रीति में नहीं। भुगतान की रसीद ऐसे प्ररूप में दी जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।

स्पष्टीकरण.— स्थानीय प्राधिकरण से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन स्थापित कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत।

- 4. मांग की सूचना. (1) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना प्ररूप—चार में दो प्रतियों में जारी की जाएगी।
- (2) विभिन्न बकायादारों को मांग की सूचना पृथक्-पृथक् जारी की जाएगी।
- (3) ऐसी सूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी और तामील करवाई जाएगी।
- 5. बकाया के भाग के रूप में वसूली योग्य खर्चे. धारा 148 के अधीन बकाया के भाग के रूप में निम्नलिखित दरों से खर्चें वसूले जाएंगे,—
 - (क) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना की तामीली के लिये रुपए एक सौ ; तथा

- (ख) धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने और प्रवर्तित करने के लिए रुपये पांच सौ।
- 6. जंगम सम्पत्ति की कुर्की का वारंट .— (1) धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की का प्रत्येक वारंट प्ररूप—पांच में जारी किया जाएगा और यदि उसका विक्रय प्रवर्तित कराया जाना है तो प्ररूप—छह में उद्घोषणा जारी की जाएगी।
- (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
- (3) ऐसे वारंट के अनुपालन में जंगम सम्पत्ति की कुर्की मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-छह के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
- 7. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की .— (1) जब धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी), (बी, बी), (बी,बी,बी) अथवा (ग) के अधीन स्थावर सम्पत्ति को कुर्क किया जाना आदेशित हो, वहां प्ररूप—सात में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया जाकर कुर्की की जाएगी।
- (2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 72 के उप—नियम (2) में विहित रीति में की जाएगी।
- 8. खाते का पट्टे पर दिया जाना. (1) जहां खाते को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जाना हो वहां प्ररूप—आठ में एक उद्घोषणा जारी की जाएगी।
- (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
- (3) पट्टे पर दिए जाने की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् प्ररूप—नौ में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- 9. स्थावर सम्पत्ति का विक्रय .- (1) जब स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना हो तो -
 - (क) धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में **प्ररूप—दस** में; या
 - (ख) धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप—ग्यारह में;

विक्रय के लिए उदघोषणा जारी की जाएगी।

(2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 79 के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

- 10. विक्रय का प्रमाण पत्र .- (1) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात्, -
 - (क) धारा 147 की उप— धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप—बारह में; या
 - (ख) धारा 147 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप—तेरह में;

विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

- 11. प्रिक्या जब वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना है, अन्य जिले में हो .— जब वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी) अथवा खण्ड (ग) के अधीन कार्यवाही की जाना है, उस जिले से भिन्न जिले में स्थित है, जिसमें बकाया उद्भूत हुआ हो तो उस जिले का कलक्टर उस जिले के कलक्टर के प्रस्ताव पर, जिसमें बकाया उत्पन्न हुए, अपेक्षित आदेशिका, प्रचलित करेगा।
- 12. बैंक खाता या बैंक लॉकर की कुर्की .— (1) जब धारा 147 की उप—धारा (2) के अधीन बैंक खाता या बैंक लॉकर को कुर्क किया जाना आदेशित किया गया हो तो प्ररूप—चौदह में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी कुर्की की जाएगी।
- (2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 56 के उप-नियम (3) में विहित रीति में की जाएगी।
- 13. भू-राजस्व के बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी व परिरोध. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 146 की उप—धारा (1) के अधीन जारी की गई मांग की सूचना में ऐसे बकाया के भुगतान के लिए मंजूर की गई अविध के पश्चात् भी पचास लाख रूपये से अधिक के भू—राजस्व के भुगतान में चूक जारी रखता है तो तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी को तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु जहां ऐसी सूचना के प्रति धारा 146 की उप—धारा (2) के अधीन आपित्त की गई हो वहां तहसीलदार ऐसी आपित्त को विनिश्चित करने के पश्चात्, यदि अपेक्षित हो, तो उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए, भू-राजस्व के बकाया में सम्मिलित है धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन ।

(2) उप नियम (1) के अधीन तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने के लिए कि भू—राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए, सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए प्ररूप—पंद्रह में सूचना जारी कर सकेगा।

- (3) यदि ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिवस को उपस्थित होने में असफल रहता है और भू—राजस्व के ऐसे बकाया के भुगतान में चूक भी जारी रखता है तो उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उप—धारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्ररूप—सोलह में वारट जारी कर सकेगा।
- (4) जहां ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी सूचना के पालन में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उप नियम (3) में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में उसके समक्ष लाया जाता है, वहां उपखण्ड अधिकारी उसे यह कारण दर्शाने के लिए एक अवसर देगा कि उसे भू—राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए सिविल कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए।
- (5) उप नियम (4) के अधीन जांच पूर्ण हो जाने पर, उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द करने के लिए आदेश कर सकेगा और प्ररूप—सत्रह में जेल के सुपुर्द करने का वारंट जारी कर सकेगा और उस दशा में, यदि वह पहले से ही गिरफ्तार नहीं है तो उसे गिरफ्तार करवाएगा।
- (6) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सिहत उप–नियम (3) तथा (5) के अधीन गिरफ्तारी को लागू होंगे।
- (7) सिविल कारागार से उन्मोचन का आदेश प्ररूप-अठारह में होगा।
- (8) धारा 147 की उप–धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने पर उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 14. भू—राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन. (1) धारा 155 के अधीन कोई धन भू—राजस्व का बकाया की रीति से वसूल किया जाए, यह विनिश्चित करने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुसूची—एक के अनुसार होगा।
- (2) जहां सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि कोई धन धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली की रीति से वसूल किया जाना चाहिये तो वह तहसीलदार को अथवा ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जिसे कि संहिता के अधीन बकाया वसूल करने के लिए सशक्त किया जाए, लिखित में आवेदन करेगा।
- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला आवेदन प्ररूप—उन्नीस में होगा और ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी,—
 - (क) सक्षम प्राधिकारी जिसको कि धनराशि देय है ;
 - (ख) देय धनराशि ;

- (ग) वह व्यक्ति जिससे कि धनराशि देय है ;
- (घ) विधि का वह उपबंध जिसके अधीन धन राशि भू—राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है ;
- (ड) वह आदेशिका जिसके द्वारा धनराशि वसूल की जा सकेगी;
- (च) वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेगी; तथा
- (छ) यथास्थिति धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) या (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण–पत्र।
- (4) आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करेगा।
- (5) ये नियम ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग को, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा घोषित करे, लागू नहीं होंगे।
- 15. भू-राजस्व में कमी. (1) धारा 161 की उप-धारा (1) के अधीन भू स्वामी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन प्ररूप-बीस में होगा।
- (2) आवेदन प्राप्त होने पर कलक्टर आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता के संबंध में जांच तथा इस प्रकार की गई जांच के परिणामों की तीन मास से अनिधक की कालाविध के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भू—अभिलेख अधीक्षक अथवा सहायक भू—अभिलेख अधीक्षक से अपेक्षा करेगा।
- (3) जबिक धारा 161 की उप—धारा (1) के खण्ड (एक), (दो) अथवा (तीन) में वर्णित आधारों पर राजस्व में कमी चाही गई है वहां वह व्यक्ति जिसे जांच सौंपी गई है, स्थल का निरीक्षण करेगा और ऐसे आंकडे (डाटा) संग्रहीत करेगा जिन्हें कि वह आवेदन के निराकरण के लिए आवश्यक समझे।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कलक्टर आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। यदि आवेदक तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि कमी किए जाने का आदेश किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश, उस रकम का उल्लेख करते हुए जिस तक कि खाते का भू-राजस्व कम किया जाना है, अभिलिखित करेगा जो आवेदक को तत्काल संसूचित किया जाएगा। आदेश की एक प्रति अधिकार अभिलेख तथा मांग सूची में पटवारी द्वारा आवश्यक सुधार करवाए जाने के लिए तहसीलदार को भेजी जाएगी:

परन्तु यदि यह कमी एक सौ रूपये से कम है तो ऐसी कमी किए जाने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- (5) भू-राजस्व की गणना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
- 16. निरसन तथा व्यावृत्ति. (1) निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं,-
 - (क) अधिसूचना क्रमांक 2457–62–सात–ना (नियम) दिनांक 18 मई, 1916 तथा क्रमांक 3814–2502–सात–ना (नियम) दिनांक 11 अगस्त, 1961 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 189–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 140 क अधीन भू–राजस्व के भुगतान के संबंध में बनाए गए नियम;
 - (ख) अधिसूचना क्रमांक 190–6477—सात—ना— (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 142 के अंतर्गत भू—राजस्व के भुगतान की रसीद के संबंध में बनाए गए नियम;
 - (ग) अधिसूचना क्रमांक 2804—5041—सात—ना—(नियम) दिनांक 12 जून 1961 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1 —4—सात—शा.—8—87 दिनांक 04 जुलाई, 1988, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 191—6477—सात—ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 144 के अंतर्गत भू—राजस्व के निलम्बन तथा माफी के संबंध में बनाए गए नियम;
 - (घ) अधिसूचना क्रमांक 2549—5163—60—सात—ना (नियम) दिनांक 25 जून, 1962 तथा अधिसूचना क्रमांक 1841—2882—सात—ना—1 दिनांक 02 जून, 1972, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 192—6477—सात—ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 146 तथा 147 के अधीन मांग की सूचना तथा बकाया की क्सूली के लिए आदेशिका के संबंध में बनाए गए नियम;
 - (ड.) अधिसूचना क्रमांक 2545—5163—सात—ना (नियम) दिनांक 26 जून, 1962 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 336—सी आर—742—सात— ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 155 के अधीन भू—राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन के संबंध में बनाए गए नियम;
 - (च) अधिसूचना क्रमांक 194–6477—सात—ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा 161 के अंतर्गत राजस्व में कमी के संबंध में बनाए गए नियम,
 - (2) ऐसे निरसन से निरिसत नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका यह प्रभाव होगा मानों वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

अनुसूची—एक (नियम 14 देखिए)

कोई धन भू-राजस्व के बकाया की रीति में वसूल किया जाना चाहिए यह विनिश्चित् करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

अनु.	धन की श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
क्रमांक		
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 155 के खण्ड (क) के अधीन	संहिता के अधीन देय या
	ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा 58 की उप—धारा	
	(2) के अधीन भू—राजस्व में सम्मिलत किये गये हैं,	[
	संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति	,
	के अधीन देय या उद्ग्रहणीय समस्त लगान,	· .
	रायल्टी, जल दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम,	1
	शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च	अधिनियमिति के अधीन ऐसे
		धन या उद्ग्रहण के भुगतान
		के लिए आदेश देने वाला
		न्यायालय, प्राधिकारी या
		अधिकारी
2.	धारा 155 के खण्ड (ख) के अधीन	ऐसा अनुदान, पट्टा या
	ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान, पट्टे या	संविदा मंजूर करने वाला
	संविदा के, जिसमें यह उपबंध हो कि वे उसी रीति	प्राधिकारी या अधिकारी
	में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि	
	भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, के	
	अधीन राज्य सरकार को शोध्य होते हैं	
3.	धारा 155 के खण्ड (खख) के अधीन	ऐसी प्रत्याभूति मंजूर करने
	किसी प्रत्याभूति—संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई	वाला प्राधिकारी या अधिकारी
	रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत	
	किये गये समस्त धन जिनमें यह उपबंध हो कि वे	
	उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि	
	भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है	

4	धारा 155 के खण्ड (ग) के अधीन	संहिता के अधीन वसूली
	ऐसी समस्त राशियाँ जिनके बारे में इस संहिता या	योग्य राशियों के मामले में,
ĺ	तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह	तहसीलदार
	घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल	किसी अन्य अधिनियमिति के
	योग्य होंगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया	अधीन वसूली योग्य राशियों
	वसूल किया जाता है	के मामले में, ऐसी वसूली का
-		आदेश देने वाला न्यायालय,
		प्राधिकारी या अधिकारी
5	धारा 155 के खण्ड (घ) के अधीन	ऐसी विधि के अधीन नियुक्त
	कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र	रजिस्ट्रार
	में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित	
	किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक	
	द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह किसी	
	सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में	
	या समापन के खर्च के रूप में वसूल की जाय	
6	धारा 155 के खण्ड (ड.) के अधीन	उक्त कार्पीरेशन का प्रबंध
	वह धन जो मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट	संचालक
	कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों	
7	धारा 155 के खण्ड (च) के अधीन	उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध
	वह धन जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित	
	तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	राजारायर
	को देय होते हों	
8	धारा 155 के खण्ड (छ) के अधीन	उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध
	वह धन जो मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन	
	लिमिटेड को देय होते हों	
9	धारा 155 के खण्ड (ज) के अधीन	उक्त सत्ता (ऐंटिटी) का
	वह धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य	मुख्य कार्यपालक, चाहे वह
		किसी भी नाम से जाना
	सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता (ऐंटिटी) जो कि	जाता हो
	इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए	
	को देय होते हों	

प्ररूप **-एक** (नियम 3 (4) देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020 सफल भुगतान के पश्चात् रसीद जनरेट होगी। भू-राजस्व की रसीद (आवेदक की प्रति)

आवेदन क्रमांक :	ग्राम/नगर	जीएसटीएन	दिनांक	रसीद संख्या
Application No	Village/Town	GSTN	Date	Receipt
	•••••			No
पटवारी हल्का क्रमांक /	राजस्व निरीक्षक वृत्त.		तहसील	जिला
सेक्टर क्रमांक				
Patwari Halka	Dayanya Ingnast	~**	Taball	District
Patwari riaika	Revenue Inspect	OI.	Tahsil	District
No/Sector	Cirvle	or		District
· ·	1.	or		District
No/Sector	1.	or		District

सेवा के ब्यौरे	आवेदक / जमाकर्ता का नाम		आवेदक / जमाकर्ता का नाम Public user def def			ef
Particulars of service	Name of applicant/D	epositor				
वर्ष	खाता संख्या	क्षेत्रफल	भुगतान की गई	सेवा शुल्क	योग रुपये	
Year	 Holding	Area	भू–राजस्व की राशि रुपये	रुपये		
	No		Amount of land revenue paid rupees	Service fee rupees	Total rupees	

जिसके पश्चात् रसीद बंद करें व "कुल राजस्व भुगतान राशि" भरें।

चेंकबॉक्स बटन का चयन करके ''जमा करें' बटन पर क्लिक करें।

टिप्पणः— यह एक कम्प्यूटर जनेरेटेड रसीद है और इस पर हस्ताक्षर और मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।

After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi".

Select checkbox button & clicl on "jama kare" button.

Note:- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it.

प्ररूप-दो

दो प्रति में

(5)

(नियम 3 (5) देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020

पटेल, पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली रसीद

٠	पुस्तक संख्या	रसीद सं	ख्या	दिः	नांक	******
	1— खातेदार का नाम	· – ¸		•••••••••	•••	
	2— भूमिस्वामी या सर	रकारी पट्टेदार		(ত	नो लागू हो	√ करें)
,	3— जिला	तहसील	गाम / नगर	•••••	******************	?
	पटवारी हल्का क्रा	मांक / सेक्टर <i>उ</i>	क्रमांक	. खात	ा क्रमांक	******
	F					
-	सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	भूमिस्वामी / सरकारी	ब	काया के ब्यं	रे तथा वर्ष
	संख्यांक / ब्लॉक	(हैक्टर या	पट्टेदार या भुगतान	वर्ष	बकाया	बकाया राशि
	संख्यांक / भू—खण्ड	वर्ग मीटर में)	करने वाले अन्य व्यक्ति		के ब्यौरे	बकाया राशि (रुपए में)
1	संख्यांक		का नाम			` ', ',

का नाम

(2)

विरूट	लम (5) के १ भुगतान की ाई राशि	भुगतान की गई राशि शब्दों में	अग्रिम भुगतान के ब्यौरे (10 वर्ष तक) तथा राशि	बकाया अवशेष /चालू	कुल प्राप्त राशि
वर्ष	भुगतान की गई राशि		(शब्दों में तथा अंकों)		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(3)

(4)

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(1)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा पदनाम

टिप्पण:-1. शासकीय देयों का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खाते का निःशुल्क निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

> 2. शासकीय देय के भुगतान के बारे में इससे अन्य किसी प्ररूप मे रसीद मान्य नही हैं।

प्ररूप-तीन

तीन प्रति में

[(नियम 3 (6) देखिए)]

मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता (मू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020 अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान रसीद

> कोषालय में भुगतान किये गये धन का चालान (कोषालय नियम 10 के सहायक नियम 19 तथा 22) (तीन प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

किसके द्वार	रा लाया गया	किस बाबत्	शीर्ष	राशि रूपए में
			योग	

राजस्व का शीर्ष

Commercial and	1				
विभाग का	मुख्य	उप मुख्य	उप लघु	योजना शीर्ष	प्रयोजन
कोड तथा	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष		7141611
नाम			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
<u> </u>	ļ			<u> </u>	
<u>.</u>					
मर्चेन्ट संख्या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	मन्त्रोम स्व	विवरण	240	
1-1 0 (1091		१५आ१ फा	1ववरण	अधिनियम / संहिता	सीआरएन
		•••••		į į	संख्या
बैंक स्क्रॉल	स्क्रॉल	सीआइएन र	संख्या	बीआरएन संख्या	
संख्या	दिनांक		., •	quality (1991	
1091	14.1145				1

(कोषालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु)

परीक्षित	प्राप्त		प्रविष्ट
	रुपए अर्को मेंरुपए शब्दों में	चालान संख्या	चालान दिनांक
लेखापाल के	कोषाधिकारी के हस्ताक्षर	कोषाधिक	ारी के हस्ताक्षर
आद्याक्षर			

प्ररूप –चार

	,	(नियम ४	देखिए)			
	मध्यप्रदेश भू-रा	जस्व संहि	ता (भू–र	ाजस्व की उगाही) नियम, 202	0	
	सम	प्त न्यायाल	य	*************************		·	
					प्रकरण क्रम	iक	
		. 1	मांग की ज	सूचना			
	(मध्यप्रदेश भू-	राजस्व स	ांहिता, 19) 59 की घारा 146	के अधीन)		
प्रति,					•		
श्री ग्राम / नगर	पु	त्र / पुत्री / तहसील	′पत्नि १	श्री जिला	निवासी		
आपसे प	रतद्द्वारा यह सूच	ना ग्रहण	करने की	ो अपेक्षा की जात	ी है कि संल	ग्न विवरण प	<u>ラ</u>
	यौरे के अनुसार व						
	यदि शास्ति, ब्या						
	वना की प्राप्ति के						-
	हेतु आपके विरू						
		₹	ाशि रूपए	, में			
ग्राम / नगर	1	खाता	बकाया	शास्ति और	सूचना	कुल देय	
	क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	क्रमांक	राशि	ब्याज	तामील	राशि	
	क्रमाक				करने के खर्चे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

मुद्रा			तहसीलदार
दिनांक			
13 03'	•		***************************************

नोटिस की तामील व्यक्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा -

साक्षी के हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नाम(यदि कोई है) (प्रेषिती से भिन्न होने पर उससे संबंध)
नोटिस मेरे द्वारा दिनांकको तामील किया गया। तामीलकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम दिनांक, 20	तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने की दशा में माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर नाम

जहां नोटिस की तामील चस्पा द्वारा की जाती है, पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा -

	्रिकान
साक्षीगण जिनके द्वारा गृह की पहचान की गई	1. नोटिस मेरे द्वारा
और जिसकी उपस्थिति में नोटिस चस्पा किया	का नाम) पर दिनाक को पार्श्व
गया था	में उल्लेखित साक्षीगणों की उपस्थिति में चस्पा कर
(1) साक्षी के हस्ताक्षर	तामील किया गया।
नाम	10 0 0
पिता / पति का का नाम	2. नोटिस की तामील चस्पा द्वारा किये जाने का
पता	कारण
4(1,	
मोबाईल नम्बर(यदि कोई हो)	
निविद्धि गर्य(११४ अर्थ ८)	
(2) साक्षी के हस्ताक्षर	तामीलकर्ता के हस्ताक्षर
(` '	नाम
नाम	पदनाम
पिता / पति का का नाम	दिनांक20
पता	
१ १ (गरि कोर्ट से)	
मोबाईल नम्बर(यदि कोई हो)	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ी नाम में महा जागहार के मितहरताथर
तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने व	व्याचार्य
	हस्ताक्षर नाम
मुद्रा	पदनाम
दिनांक20	

प्रति,

प्ररूप --पांच

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजर	व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020
समक्ष	ा न्यायालय
	प्रकरण क्रमांक
	

जंगम संपत्ति की कुर्की का वारंट (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (1) (क) के अधीन)

[उस व्यक्ति का नाम व पद जिसे कि वारंट के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है]
क्योंकि पुत्र/पुत्री/पत्नि निवासी
तहसील जिला ने भू–राजस्व के बकाया के लेखे संलग्न अनुसूची–एक में दिए
गए विवरण के अनुसार रूपये के भुगतान में चूक की है, आपको एतद्द्वारा नीचे
अनुसूची—दो में यथावर्णित जंगम संपत्ति को कुर्क करने तथा जब तक कि कुल देय धनराशि
का भुगतान नहीं कर दिया जाता, इस न्यायालय का आगामी आदेश होने तक उस संपत्ति को
धारण करने का आदेश दिया जाता है।
आपको यह वारंट दिनांक20 को या उसके पर्व उस दिनांक तथा रीति का

जिसमें उसका निष्पादन किया गया अथवा उसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया, यह प्रमाणीकरण करते हुए पृष्ठांकन सहित वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

अनुसूची - एक देय बकाया के ब्यौरे

राशि रूपए में

	···					
ग्राम/नगर		खाता	बकाया के ब्यौरे		शास्ति	देय
	क्रमांक / सेक्टर	क्रमांक	बकाया	आदेशिका जारी	तथा	राशि
	क्रमांक		राशि	करने तथा उसके	ब्याज	कुल
				प्रवर्तन के खर्च		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				·		

अनुसूची –दो कुर्क की गई जंगम संपत्ति के ब्यौरे

1	
2	
पुद्रा	तहसीलदार
देनांक	

प्ररूप —छह (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समा	क्ष न्यायालय	***********	
			प्रकरण क्रमांक
[मध्यप्रदे	जंगम संपत्ति के विव्र श भू—राजस्व संहिता, 1959	•	(क) के अधीन]
	चे विनिर्दिष्ट जंगम स	•	•
	निवासी		
जिला	द्वारा देय भू-राजस्व के	बकाया, शास्ति,	ब्याज और कार्यवाहियों व
खर्चों के लेखे वसूली	के लिए कुर्क किया गया है	1	
एतद्द्वारा उ	द्घोषणा की जाती है कि यि	दे इसमें विक्रय के	लिए नियत दिनांक के पूर
देय राशि का भुगतान	न नहीं कर दिया जाता तो	उक्त संपत्ति का	विक्रय स्थान
पर दिनांक	सन् 20 को	बजे या उस समय	। के लगभग लोक नीलार्म
द्वारा कर दिया जाएग			
अनु. क्रमांक	जंगम सम्पत्ति का विवरण	वस्तुओं की संख्य	Π
(1)	(2)		(3)
			0
मुद्रा	Andrew Commencer		तहसीलदार
दिनांक			
		•	

प्ररूप —सात (नियम 7 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम,

	गप्यश्रपरा गू—	राजरप ता	פנוו (אבי	ताजस्य का ठवाहार	1144, 20	20	
	समक्ष न्यायाल	य					
				प्र	करण क्र	मांक	
[मध्यप्रदे		हिता, 195	9 की धार	iपत्ति की कुर्की 1 147(1) (बी), 147 (1) (ग) के अधीन]	(1) (बी	बी), 147	(1)
क्यों	कि श्री	•••••	पुत्र / पुर्त्र	ो / पत्नि	नि	वासी	
तहसील	जिला		ने र	उसके द्वारा देय		के लेखे	ब्रे नीचे
अनुसूची-ए	क में दिए गए ब्यें	रिके अनु	सार रूपए	के भुग	तान में चृ	एक की है।	
		दे	अनुसूची य बकाया	—एक के ब्यौरे	·	राशि रूपये	} }
ग्राम / नगर	पटवारी हल्का	ज्याना	-	नाया के ब्यौरे	शास्ति	देय	ן ן
אויי / ייוג	क्रमांक / सेक्टर	1	बकाया	आदेशिका जारी	Į	पय राशि	
	क्रमांक	7/- 1/3/	राशि	करने तथा उसके	ब्याज	कुल	
				प्रवर्तन के खर्चे		3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
•	` _		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0.01
				को निग			
				भार युक्त करने से			
		•		ाता है उसी प्रकार	तथा उर	त क्रय, द	ान या
अन्यथा प्राप्त	ा करने से एतदृद्व	ारा ।नषा	वत किया	जाता ह।			
			अनुसूची	–दो			
		(स्थाव		का विवरण)			
1	······	*:			¥.		
2	········						
_	हस्ताक्षर एवं इस गया।	न्यायालय	की मुद्रा	द्वारा आज दिनांक	***************************************	20 को	जारी
मुद्रा			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			तहसीत	ल्दार
दिनां	क						

प्ररूप -आठ

(नियम 8 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	् समक्ष न्यायाल	य	******			
				प्रकरण क्र	मांक	•••••
		खाते को पट्टे	पर देने की उ	द्घोषणा		
[मध्यप्रदे	रेश भू—राजस्व सा		घारा 147 (1)(अधीन]	बी बी) तथा 1	47 (1) (बी बी	बी)
क्योंकि	श्री	पुत्र/पुत्र	भी / पत्नि		निवासी	
तहसील	•••••	जिला	q	हे नीचे विनि	र्देष्ट खाते/खा	तों को
कॅालम (६)	में विनिर्दिष्ट भू-	राजस्व के बकार	या तथा आदेशि	का जारी क	रने तथा उसके	प्रवर्तन
के खर्चे के	कारण देय	रूपए की	वसूली के लिए	कुर्क किया	गया है;	
नियत दिन भारों और उ स्थान	ारा उद्घोषणा की के पूर्व न चुकाई उसके/उनके सं पर वि ा	गई तो उक्त र बंध में किए गण देनांक	वाता / खातों के ए समस्त अ को या	ो उस /उन ानुदानों से ए बजे व	पर अधिरोपित वं संविदाओं से हे लगभग सार्वः दिया जाएगा।	समस्त मुक्त जनिक
·					राशि रूपयों	में
प्राम / नगर	[खाता क्रमांक	1 .	निर्धारण	बकाया	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	·	(हेक्टर में)		de la companya de la	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , ,			

- टिप्पणी— 1. प्रत्येक खाते पर शोध्य भू—राजस्व के बकाया को कालम (6) में पृथक् रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 - 2. यदि किसी खाते में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड समाविष्ट हों तो पट्टे को संचालित करने वाले अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे संख्यांकों में से एक या अधिक संख्यांकों को, जैसा कि बकाया वसूल करने के हेतु आवश्यक समझा जाए, पट्टे पर दे।

खाते का पट्टे पर दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगा:-

- (एक) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप—धारा (1) के खण्ड (ठ) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित ''भूमिहीन व्यक्ति'' ही नीलामी में बोली लगाने का पात्र होगा।
- (दो) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा के रूप में अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।
- (तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।
- (चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालाविध के दौरान भूमि पर पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।
- (पांच) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेगा।
- (छह) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (सात) पट्टेदार उसके पक्ष में नीलामी की बोली खत्म की जाने के तुरंत पश्चात् बोली की कुल रकम का भुगतान करेगा या वह बोली की रकम का कम से कम 1/4 भाग का तुरंत भुगतान कर सकेगा तथा शेष रकम का नीलाम के दिनांक से 15 दिन के भीतर उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (आठ) यदि शेष रकम का पट्टेदार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो पूर्व में जमा की गई बोली की रकम समपहृत कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी की जाएगी।
- (नौ) यह तहसीलदार के विवेक पर होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करे या न करे तथा भूमि को पट्टे पर दे।
- (दस) पट्टे की कालाविध समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रदद हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।

मुद्रा			तहसीलदार
दिनांक	,		***************

प्ररूप —नौ (नियम 8 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	प्रकरण	क्रमांक	••••
पट्टा विलेख			

[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (बी बी) तथा 147(1) (बी बी बी) के अधीन]

ग्राम / नगर तहसील जिला में
स्थित उस भूमि, जिसे संलग्न अनुसूची में और विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है, का
यह अस्थायी पट्टा तहसीलजिला के तहसीलदार द्वारा
श्री
जिला को (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टाग्रहीता के नाम से निर्दिष्ट
किया गया है) निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाता है:

- (1) पट्टेदार भूमि को कृषि वर्ष से कृषि वर्ष तक धारण करेगा।
- (2) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।
- (3) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नही करेगा।
- (4) पट्टेदार पट्टे की कालाविध के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (5) पट्टेदार पट्टे के दिनांक के आगामी राजस्व वर्ष से भूमि के पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।
- (6) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।
- (7) पट्टे की कालाविध समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) यदि पट्टेदार विनिर्दिष्ट दिनांक को भू-राजस्व का भुगतान न करे या ऊपर विनिर्दिष्ट की गई शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग करे तो तहसीलदार भूमि में प्रवेश कर सकेगा तथा खड़ी फसलों (यदि कोई हों) सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा और तहसीलदार इस संबंध में कोई नुकसानी या प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

अनुसूची

	क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	संख्यांक	गई भूमि का क्षेत्रफल		अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	आज दिनां	क	20 व	गे प्रदत्त किया	गया।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
साक्षीग	lal — ,					तहसीलदार
1.						
۷.	***************************************	••••••				•

मैंने ऊपर विनिर्दिष्ट शर्ते पढ़ तथा समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

सा	क्षीग	ण —
	1.	*******************************
	2.	***************************************

पट्टेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप —दस (नियम ९ देखिए)

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियग समक्ष न्यायालय	,, 2020	
प्रकरण क्र	न्मांक	
खाते के विक्रय की उद्घोषणा		
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1)(बी) व	के अधीन]	
क्योंकि नीचे विनिर्दिष्ट खाता/खातों को श्री पुत्र/पुत्री/पिल निवासी तह जिला पर कालम (6) में विनिर्दिष्ट भू-राजस्व के ब जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे रूपए किया गया है;	हसील काया तथा आदेशिव	 ก
एतद्द्वारा यह उद्घोषणा की जाती है कि यदि एतद्द्वारा विक्रय व से पूर्व देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त खाता/खा पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके संबंध में किए गए स संविदाओं से मुक्त पर दिनांक20 को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।	ातों का उस पर/उ मस्त अनुदानों से ए	7
	VII VI 1	
	ग बकाया	
	ग बकाया	
ग्राम/नगर पटवारी हल्का खाता क्रमांक क्षेत्रफल निर्धारण क्रमांक/सेक्टर (हेक्टर में)		
ग्राम/नगर पटवारी हल्का खाता क्रमांक क्षेत्रफल निर्धारण क्रमांक/सेक्टर (हेक्टर में) क्रमांक		
ग्राम/नगर पटवारी हल्का खाता क्रमांक क्षेत्रफल निर्धारण क्रमांक/सेक्टर (हेक्टर में) क्रमांक) (6) लम (6) में पृथक् रू उपखंड समाविष्ट ह	ड़ों
ग्राम / नगर पटवारी हल्का खाता क्रमांक क्षेत्रफल निर्धारण क्रमांक / सेक्टर क्रमांक (हेक्टर में) क्रमांक (1) (2) (3) (4) (5) टिप्पणी :— (एक) प्रत्येक खाते पर शोध्य भू—राजस्व के बकाया को कॉर्ज से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। (दो) यदि किसी खाते में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक या) (6) लम (6) में पृथक् रू उपखंड समाविष्ट ह वतंत्रता होगी कि वा	हों ह

		(नियम ९ देखिए)	
	मध्यप्रदेश भू-	राजस्व संहिता (भू-राजस्व	की उगाही) नियम, 2020
	समक्ष न्यायाल	य	
	•		प्रकरण क्रमांक
	₹	थावर संपत्ति के विक्रय की	उद्घोषणा
	मध्यप्रदेश भू-र	ाजस्व संहिता, 1959 की धा	रा 147(1) (ग) के अधीन]
निवासी तहर्स रूपए	ोल तथा अ	थावर संपत्ति जिला गदेशिका जारी करने तथा हेतु कुर्क की गई है;	पुत्र/पुत्री/पत्निपर हे लेखे देय उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे देय
उपरोक्त संपूण् स्थान	िराशि का भुग पर वि	ातान नहीं कर दिया जा	विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व ता है तो उक्त संपत्ति का विक्रय को बजे या उसके
विक्रय क तक सीमित हो	। विस्तार केवल ।गा।	उक्त संपत्ति में उक्त बक	गयादार के अधिकारों, हकों तथा हितों
	•	संपत्ति के ब्यौरे	
अनुक्रमांक	विवरण	निर्धारण, (यदि कोई हो) (रूपए में)	किसी भी ज्ञात भार आदि की टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
मुद <u>्</u> रा			तहसीलदार
दिनांक	••		••••••

प्ररूप —बारह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	समक्ष न्यायाल	ाय	 प्रक	ज् ण क्रमांक
	भूगि [मध्यप्रदेश भू—राजस्व	ने के हेतु विक्रय प्र संहिता, 1959 की		के अधीन]
यह	प्रमाणित किया जाता	है कि	पु त्र/पुः	त्री / पत्नि
निवासी ग्रा	म	तहसील	जि	ला
को दिनांक	20 क	ो आयोजित साव	र्जिनिक नीलामी	द्वारा विक्रय में नीचे
विनिर्दिष्ट ख	वाते का क्रेता घोषित कि	या गया है।		
	वेक्रय द्वारा क्रेता को वह भी व्यक्ति द्वारा इसके त हुई है।			
ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक,	/ खाता क्रमांक	क्षेत्रफल	निर्धारण (रूपए में)
(1)	सेक्टर क्रमांक (2)	(3)	(हेक्टर में) (4)	(5)
	(-)		(1)	(0)
संख्यांकों	समाविष्ट सर्वेक्षण /ब्लॉक संख्यांकों इ संख्यांकों के ब्यौरे	दर्ज भूमिस्वामी क नाम	1 ·	जसमें क्रय किया गया (रूपए में)
(6) (7) (8)				
मुद्रा दिनांक				तहसीलदार

प्ररूप —तेरह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	1121	441 K (1914) (114	tu (g dolla an o	1101/1171, 2	.020
		समक्ष न्यायालय	***************************************		
•	•			प्रकरण द्र	मांक
		क्रावर सं	।त्ति का विक्रय प्रमाण	ਜ਼ਕ	
	मिध्यपटे		ता, 1959 की धारा 14		मधीनो .
	[12-32/4	to a contaction		7(1) (1) 42 °	1911 IJ
यह ।	प्रमाणित	किया जाता है	किपृ	त्र /पत्री /पत्नि	1
			हसील		
			जनिक नीलामी द्वारा		
			जानक नालामा क्षारा	।पक्रय म माय	ावानादण्ट स्थापर
संपत्ति का	क्रेता घोषि	षेत किया गया है।			
ऐसे वि	क्रिय द्वारा	क्रेता को उक्त सं	पत्ति में के	पुत्र/पुत्री/प	लि
		ा हित अंतरित हुए			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	संपत्ति के ब्यौरे		
अनुक्रमांक	विवरण	,	निर्धारण (यदि कोई	,	धनराशि जिसमें
	1.44	संपत्ति स्थित *\	हो) (रूपए में)	स्वामी / भूमि	
. •		है)	· . '	—स्वामी का नाम	(रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					· ·
मुद्रा					तहसीलदार
दिनांक					·

प्ररूप —चौदह (नियम 12 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	समक्ष न्यायाल	T		
			प्रकरण क्रमांक.	••••••
. ,	बैंक खाता,	/बैंक लॉकर की कुर्की	का वारंट	
		संहिता, 1959 की धारा		
प्रति,	- **			•

(उस व्य	प्रक्ति का नाम व पदन	गाम जिसे कि वारंट के	निष्पादन का उत्तरव	तियत्व सौंपा
गया है।)				
क्योंकि	y>	। / पुत्री / पत्नि	निवासी	
		ने भू-राजस्व		
दिए गए विवर	रण के अनुसार	रुपए के भुगतान	में चूक की है। आपव	हो हो एतदद्वारा
		गए विवरण के अनुसार		
		र्ण राशि का भुगतान		
		रण करने की आज्ञा दी		
बकायादार का	दूसरा बैंक खाता अथ	वा बैंक लॉकर खोले जा	ने से रोका जाता है।	
आपको र	ग्रह वारंट दिनांक	को या उसके	पूर्व इस पृष्ठांकन स	हित, जिसमें
		रीति का, जिसमें इसक		इसका क्यों
निष्पादन नहीं	हुआ, प्रमाणन हो, वापर	प्त लौटाने का भी आदेश	दिया जाता है।	
		_		
		अनुसूची—एक		
		य बकाया का विवरण		7
बकाया राशि		शारित और ब्याज	1 '	
	करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे	(याद काइ हा)	कुल देय राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	
(.)	(2)	(0)	(4)	
		0 \		j .
<u> </u>		अनुसूची—दो		
	कर्स के ब्यौरे			
	ता क्रमांक के ब्यौरे	••••••		:
नुद्रा			तहसीलद	IX
देनांक				

प्ररूप —पंदह

	मध्यप्रदेश भ—रा	•	13 देखिए) —राजस्व की उ	गा ही) नियम, 202	20
	•		.		
	4	ामक्ष न्यायालय र	उपखण्ड अधिका	री प्रकरण क्रम	ांक
	विरुद्ध				
	***************************************	₹	<u>च</u> ना		
	[मध्यप्रदेश भू—र	राजस्व संहिता,	1959 की धारा 1	147 (3) के अधीन	1]
प्रति,					
कु/	श्री / श्रीमती	पुत्र / ए	पुत्री ∕ पत्नि	·······	
निवा	सी ग्राम/नगर	तहसील	ıजिला	•••••	
	5 आपने तहसील को आप प				
तामीली के	बावजूद भू–राजस्व				
है, चूक की					
इस न्यायाल	ा, आपसे एतद्द्वारा ाय के समक्ष उप ने के कारण आपक	रिथत होकर क	गरण दर्शाएं कि	उक्त धनराशि	जमा करने में
आज	दिनांक20) को मेरे	हस्ताक्षर से तथ	ग्रा न्यायालय की	। मुद्रा लगाकर
प्रदत्त ।			•		
गुद्रा			• •	उपखण्ड अधिका	री
दिनां	क्			उपखण्ड	•••••••••••
				जिला	

प्ररूप -सोलह

(नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्य	ायालय उपखण्ड अधिकारी
	प्रकरण क्रमांक/20
आवेदक	
विरूद्ध	
अनावेदक	
	गिरफ्तारी वारंट
[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,	1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 147 की उप धारा (3)
	भधीन शक्तियों के प्रयोग में जारी]
प्रति,	
як,	
ਰਿਸ਼ ਕਰਿਵ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਸਤ ਦਿਖੇ	1 1
	ते कि वारंट का निष्पादन करना है)
	ो का नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नीनिवासीनिवासी
	दार जिला जिला
द्वारा तामाल का गई माग का	सूचना क्रमांक के बावजूद भू-राजस्व के भुगतान में,
	(रूपये) होती है, चूक की है।
	(वारंटी का नाम) से सूचना क्रमांक
	य के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दर्शाने की अपेक्षा
	करने में असफल रहने के कारण उसे सिविल कारागार के
सुपुर्द क्यों नहीं किया जाना चाहि	
	उपरोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को इस न्यायालय के
	रहा है और उसने उक्त राशि का भुगतान करने में भी चूक
जारी रखी है;	
	(वारंटी का नाम) को यदि वह उक्त राशि का भुगतान
	प देता है तो उसे गिरफ्तार करने तथा समस्त सुविधाजनक
	त लाए जाने के लिए आदेशित किया जाता है;
आपका यह वास्ट दिनाक	20 को या उसके पूर्व इस पृष्टांकन सहित, जिसमें
	उस रीति का, जिसमें इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों
	गपस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।
	मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।
नुद्रा २	उपखण्ड अधिकारी
देनांक	उपखण्ड

प्ररूप —सत्रह (नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी
प्रकरण क्रमांक
विरुद्ध
जेल के सुपुर्द करने का वारंट
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(3) के अधीन]
प्रति,
भारसाधक अधिकारी जेल
क्योंकि ने तहसील जिला के तहसीलदाज द्वारा दिनांक को उस पर तामील की गई मांग की सूचना क्रमांक वे बावजूद भू-राजस्व के भुगतान में, जिसकी राशि रूपये (रूपये) होती है, चूक की है;
और क्योंकि से सूचना क्रमांक दिनांक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी;
और क्योंकि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने /लाए जाने पर वह न्यायालय का यह समाधान नहीं कर सका है कि उसे सिविल कारागार को क्यों सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए;
अतएव आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उसे दिनांक से दिनांक तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) दिन की कालाविध के लिए वहां कारावासित रखें।
आज दिनांक20 को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।
मुद्रा उपखण्ड अधिकारी
दिनांक
जिला

प्ररूप —अठ्ठारह (नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी	
प्रकरण क्रमांक	*
विरुद्ध	
छोड़े जाने के लिए आदेश	
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(5) के अधीन]	
भारसाधक अधिकारी जेल	
आज पारित आदेश के अधीन आपको एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि अब	· • • • •
को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, जब तक कि वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध र	रखे
जाने के दायित्वाधीन न हो, मुक्त कर दें।	
आज दिनांक 20 को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त	ì
मुद्रा उपखण्ड अधिकारी	
दिनांक उपखण्ड	
जिला	

प्रति,

तहसीलदार/राजस्व अधिकारी

प्ररूप — उन्नीस (नियम 14 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

राशियों की भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली के लिए आवेदन पत्र [मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की घारा 155 के अधीन]

	यह विनिश्चित् किया गया है कि निम्नलिखित राशियों को, जिनका विवरण नीचे दिया गया भू—राजस्व के बकाया तौर पर वसूल किया जाना चाहिए। कृपया इन्हें भू—राजस्व के काया के तौर पर वसूल करें तथा नीचे मद क्रमांक 7 में वर्णित लेखा शीर्ष में जमा करें:—
1.	विभाग / सक्षम प्राधिकारी का नाम जिसे कि राशि शोध्य है
2.	उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा पूरा पता जिससे कि राशियां शोध्य हैं
3.	शोध्य राशियों का विवरण
4.	विधि का वह उपबंध जिसके अधीन राशियां भू—राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य हैं।
5.	वह आदेशिका जिसके द्वारा राशि वसूल की जा सकेगी।
6.	उस संपत्ति का विवरण जिसके विरूद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेगी।
7.	वह लेखा शीर्ष जिसमें वसूली के पश्चात् धनराशि जमा की जाएगी
8.	क्या धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) अथवा (ज) के अधीन यथास्थिति अपेक्षित प्रमाण–पत्र कुर्क किए गए हैं?
	मुद्रा सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक पदनाम
	पावती/अभिस्वीकृति
प्रति,	
की ए	सेसे कपए की राशि की वसूली के लिए ऊपर प्रस्तुत किए गए आवेदन तद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।
मुद्रा टिनां	तहसीलदार/राजस्व अधिकारी
दिनां	<i></i>

प्ररूप —बीस (नियम 15 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

भू--राजस्व की कमी के लिए आवेदन पत्र [मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (2) के अधीन]

1. आवेदक का नाम तथा पता (पूरा नाम दीजिए)	
2. माता / पिता / पति का नाम	
3. पूरा पता (मोबाईल / फोन नंबर सहित)	
 भूमि का विवरण (1) खाता क्रमांक (2) सर्वेक्षण संख्यांक (3) क्षेत्रफल (4) भू-राजस्व (5) ग्राम का नाम (जहां भूमि स्थित है) (6) पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक (7) तहसील	
5. वे आधार जिन पर भू—राजस्व में कमी चाही गई है	

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज-

- 1. अधिकार अभिलेख अथवा खाते की नवीनतम जमाबंदी की प्रति
- 2. यथारिथति निस्तार पत्रक अथवा ग्राम वाजिब-उल-अर्ज में सुसंगत प्रविष्टियां
- 3. सिंचाई के संसाधन सहित सिंचित भूमि के सर्वेक्षण संख्यांक
- 4. कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ-2-5-2020-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-5-2020-सात-शा-7, दिनांक 23 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव.

F-2-05-2020-VII-Sec-7

Bhopal, the 23rd September 2020

In exercise of the powers conferred by clause (xxxi), (xxxii), (xxxiv), (xxxv) and (xxxvi) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with sections 140, 142, 146, 147, 155 and section 161 of the said Code and in supersession of this department's Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18th May, 1961 and Notification No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11th August, 1961, Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960, Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12th June, 1961, No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4th July, 1988, Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25th June, 1962, No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2nd June, 1972, Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11th January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26th June, 1962 and Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 and in supersession of all notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated th August, 2020, namely:-

RULES

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ki Ugahi) Niyam, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Bhulekh portal" means an official web portal of the State Government through which payment of land revenue may be made online;

- (b) "challan" means a form used for making payment of land revenue through a bank or web portal;
- (c) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (d) "Form" means a form appended to these rules;
- (e) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;
- (f) "Scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and
- (g) "Section" means a section of the Code.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.
- 3. Manner of payment of land revenue.- (1) Subject to sub-rules (2) and (7) land revenue may be paid by any of the following manner-
 - (a) direct payment into the government treasury through Bhulekh portal;
 - (b) deposit through a scheduled bank authorised by the State Government for this purpose;
 - (c) payment to the Patel of the village or where no Patel is appointed, to the Patwari of the Halka; or
 - (e) payment to the Nagar Sarvekshak of the Sector.
- (2) The State Government may, by notification in the official gazette, discontinue any of the manners of payment prescribed in sub-rule (1).
- (3) It shall be the duty of the Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak to deposit the money received by them under sub-rule (1) into the government treasury through Bhulekh portal within such time as may be directed by the State Government.
- (4) In case of payment through Bhulekh portal the person making payment shall fill up a challan online. He shall have to click the 'Revenue Payment' icon on such portal. After completion of successful online payment an electronic receipt shall be generated in Form I.

- (5) In case of payment of land revenue to Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak the person receiving the payment shall prepare receipt of payment in **Form** II in duplicate and one copy shall be given to the person making the payment.
- (6) In case of payment through a scheduled bank the payment shall be tendered with a challan in Form III in triplicate. One copy of the challan signed by the bank employee receiving the money and stamped with bank's seal shall be returned to the person making payment.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government may, by notification in official gazette, authorise a local authority or a class of local authorities to collect such categories of land revenue as may be specified in the notification and upon such notification payment of such categories of land revenue shall be made to such local authority and in no other manner. The receipt of the payment shall be given in such Form as may be directed by the State Government.

Explanation: Local authority means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Special Area Development Authority or a Jila Panchayat, Janapad Panchayat or Gram Panchayat established under the corresponding law for the time being in force.

- 4. Notice of demand.-(1) A notice of demand under Section 146 shall be issued in duplicate in Form IV.
- (2) Separate notice of demand shall be issued against different defaulters.
- (3) Such notice shall be issued and served in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 5. Cost recoverable as part of arrear.- Costs at the following rates shall be recovered as part of arrear under Section 148,-
 - (a) rupees one hundred for serving a notice of demand under section 146; and
 - (b) rupees five hundred for issuing and enforcing any process in Section 147.
- 6. Warrant of attachment of movable property.- (1) Every warrant of attachment of movable property under clause (a) of sub-section (1) of Section 147

- shall be issued in Form V, and if its sale is to be enforced, a proclamation in Form -VI shall be issued.
- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- (3) Attachment of movable property in compliance to such warrant shall be made in accordance with the provisions of Part VI of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 7. Attachment of immovable property.- (1)When immovable property is ordered to be attached under clause (b), (bb), (bbb) or (c) of sub-section (1) of Section 147 the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in Form VII.
- (2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in subrule (2) of Rule 72 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 8. Letting of holding.- (1) Where the holding is to be let by auction, a proclamation shall be issued in Form VIII.
- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- (3) After the sanction for letting is accorded, lease deed shall be executed in Form IX.
- 9. Sale of immovable property.- (1) When the sale of immovable property is to be held, proclamation for sale shall be issued:-
 - (a) in case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in Form X; or
 - (b) in case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in Form XI.

- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Rule 79 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 10. Certificate of sale.-After the sale of immovable property, sale certificate shall be issued:-
 - (a) in the case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in Form XII; or
 - (b) in the case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in Form XIII.
- 11. Procedure when property to be proceeded against is in another district.— If the property to be proceeded against under clause (b) or (c) of sub-section (1) of Section 147 is in a district other than that in which the arrears accrued the Collector of the district in which such property is situated shall issue the required process on the motion of the Collector of the district in which arrears accrued.
- 12. Attachment of bank account or bank locker.- (1) When a bank account or bank locker is ordered to be attached under sub-section (2) of Section 147, the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in Form XIV.
- (2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in subrule (3) of Rule 56 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 13. Arrest and confinement of a person committing default in payment of arrear of land revenue. (1) If any person continues in default of payment of arrear of land revenue exceeding Rupees fifty Lakh after the period allowed for the payment of such arrears in the notice of demand issued under sub-section (1) of Section 146 has lapsed, the Tahsildar may submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer:

Provided that where an objection to such notice has been made under subsection (2) of Section 146, the Tahsildar shall submit report to the Sub-Divisional Officer after deciding such objection if required.

Explanation: For the purpose of this Rule, the arrear of land revenue includes the moneys recoverable as an arrear of land revenue under Section 155.

- (2) On receipt of the report from the Tahsildar under sub-rule (1), the Sub-Divisional Officer may issue a notice in Form XV to such person calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.
- (3) If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under sub-rule (2), on the day specified therein and also continues in default of payment of such arrears of land revenue, the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, issue a warrant in Form XVI, for the arrest of such person.
- (4) Where such person appears before the Sub-Divisional Officer in compliance to the notice issued under sub-rule (2) or is produced before him in pursuance of the warrant of arrest issued under sub-rule (3), the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.
- (5) Upon the conclusion of the inquiry under sub-rule (4), the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, make an order for committal of such person to civil prison and issue a warrant of committal to jail in Form-XVII and shall in that event cause him to be arrested, if he is not already under arrest.
- (6) The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall apply mutatis mutandis to arrest under sub-rule (3) and (5).
- (7) The order for release from civil prison shall be in Form XVIII.
- (8) The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (3) of Section 147 shall be borne by the State Government.
- 14. Moneys recoverable as an arrears of land revenue.- (1) Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 shall be as per Schedule I.

- (2) Where a Competent Authority decides that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 it shall make an application in writing to the Tahsildar or such other Revenue Officer as may be empowered under the Code to recover the arrears.
- (3) The application to be made by the Competent Authority shall be in Form XIX and such application shall contain the following particulars-
 - (a) the Competent Authority to whom the sum is due;
 - (b) the sum due;
 - (c) the person from whom the sum is due;
 - (d) the provision of law under which the sum is recoverable as an arrear of land revenue;
 - (e) the process by which the sum may be recovered;
 - (f) the property against which the process may be executed; and
 - (g) the certificate required under clause (d), (e), (f), (g) or (h) of Section 155, as the case may be.
- (4) On receipt of the application, the Tahsildar or the Revenue Officer shall dispose it of in accordance with the provisions of the Code and the rules made thereunder.
- (5) These rules shall not apply to such cases or class of cases as the State Government may, by notification, declare.
- 15. Reduction in land revenue. (1) Application to be made by a Bhumiswami under sub-section (1) of Section 161 shall be in Form –XX.
- (2) On receipt of the application, the Collector shall require the Superintendent of Land Records or the Assistant Superintendent of Land Records to make an inquiry as to the correctness of the details set out in the application and, to report within a period not exceeding three months, the results of the enquiry so made.
- (3) When the reduction in the revenue is sought on the grounds set out in clause (i),
- (ii) or (iii) of sub-section (1) of Section 161, the person to whom inquiry is

entrusted, shall inspect the spot and collect such data as he considers necessary for the disposal of the application.

(4) After the receipt of the report under sub-rule (3), the Collector shall call upon the applicant to appear personally and to produce evidence in support of his claim. If after due examination of applicant and the evidence produced by him he is satisfied that the reduction should be ordered, he shall record an order to this effect which shall be communicated forthwith to the applicant, stating the amount by which the land revenue of the holding has to be reduced. A copy of the order shall be sent to the Tahsildar for necessary corrections to be made in the record-of-rights and in the demand list by the Patwari:

Provided that no such reduction shall be ordered if it is less than rupees one hundred.

(5) The computation of land revenue shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharn) Niyam, 2018.

16. Repeal and Savings. - (1) Following Rules are hereby repealed,-

- (a) Rules made under section 140 regarding payment of land revenue by Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18th May, 1961 and No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11th august, 1961;
- (b) Rules made under Section 142 regarding receipt of payment of land revenue made by Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960;
- (c) Rules made under Section 144 regarding suspension and remission of land revenue made by Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12th June, 1961 and No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4th July, 1988;
- (d) Rules made under section 146 and 147 regarding notice of demand and issue of processes for the recovery of arrear by Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25th June, 1962 and No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2 June, 1972;
- (e) Rules made under Section 155 regarding money recoverable as an arrear of land revenue by Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11th January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26th June, 1962; and
- (f) Rules made under Section 161 regarding reduction in revenue by Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960.
- (2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

Schedule – I (see Rule 14)

Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue

S. No.	Class of money	Competent Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Under clause (a) of Section 155	In case of moneys payable or
	Except such charges as are included in the land	leviable under the Code,
	revenue under sub-section (2) of Section 58, all	Tahsildar
	rents, royalties, water rates, cesses, fees, charges,	
	premia, penalties, fines and cost payable or leviable	In case of moneys payable or
	under the Code or any other enactment for the time	leviable under any other
	being in force	enactment, the Court, authority
		or officer ordering payment of
		such moneys or levying such moneys under such enactment.
	(1) 60 (1) 155	The authority or officer
2.	Under clause (b) of Section 155	sanctioning such grant, lease or
	All moneys falling due to the State Government under any grant, lease or contract which provides	contract.
	that they shall be recoverable in the same manner as	contract.
	an arrear of land revenue.	
3.	Under clause (bb) of Section 155	The authority or officer
3.	All moneys guaranteed by the State Government to	sanctioning such guarantee.
	the extent of amount guaranteed under a contract of	,
•	guarantee which provides that they shall be	
	recoverable in the same manner as an arrear of land	
	revenue.	
4.	Under clause (c) of Section 155	In case of sums recoverable
	All sums declared by the Code or any other	under the Code, Tahsildar
	enactment for the time being in force to be	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	recoverable in the same manner as an arrear of land	In case of sums recoverable
	revenue.	under any other enactment, the Court, authority or officer
		Court, authority or officer ordering such recovery
	(N CO. 4) 155	Registrar appointed under such
5.	Under clause (d) of Section 155 Any sum ordered by a liquidator appointed under	law
	any law relating to co-operative societies for the time	, 14 ''
	being in force in any region of the State to be	
	recovered as a contribution to the assets of a society	
	or as the cost of liquidation.	
6.	Under clause (e) of Section 155	Managing Director of the said
0.	Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh	Corporation
<u> </u>	State Agro Industries Development Corporation	1
	Limited 155	Managing Director of the said
7.	Under clause (f) of Section 155	Corporation
	Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh	Corporation
	Laghu Udyog Nigam Limited and the Madhya	
	Pradesh Audyogik Vikas Nigam	Di eter of the said
8.	Under clause (a) of Section 155	Managing Director of the said
٥.	Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh	Corporation
	Lift Irrigation Corporation Limited	
	Litt inigation Corporation Difficult	The Chief Executive, by
9.	Under clause (h) of Section 155	
	Moneys becoming payable to such entity owned and	\
	controlled by the State Government as may be	Said Chilly
	notified by the State Government in this behalf	J.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Form-I (See rule 3 (4)

Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

After Successful payment receipt will generate.

Receipt of land revenue (Copy of Applicant)

आवेदन क्रमांक :.	ग्राम/नगर	जीएसटीएन	दिनांक	रसीद संख्या
	Village/Town	GSTN	Date	Receipt
Application				No
No	. :			
पटवारी हल्का	राजस्व निरीक्षक वृत्त	********	तहसील ,	जिला
क्रमांक / सेक्टर				
क्रमांक	Revenue Inspector		Tahsil	District
Patwari Halka	Cirvle		i	
No/Sector		المعمود على ال المعمود على المعمود على ال		
No				
1				

सेवा के ब्यौरे	आवेदक/ज	माकर्ता का नाम	Public user def def			f
Particulars of service	Name of applicant/Depositor					
वर्ष	खाता संख्या Holding	क्षेत्रफल	भुगतान की भू–राजस्व राशि रुपये	गई की	सेवा शुल्क रुपये	योग रुपये
Year	No	Area	Amount		Service	Total
			land reven paid rupees	ue	fee rupees	rupees

After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi.

Select checkbox button & click on "Jama kare" button.

Note:- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it.

FORM -II

In duplicate

(See rule 3 (5))

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Receipt to be granted by patel, patwari and Nagar sarvekshak				
Book no Receipt No	Date			
1- Name of the holder 2- Bhumiswami or Government lessee	is applicable) /n			

Survey No./	Area	Name of Bhumiswami		Details of due	
Block No./plot No.	(in hectare or	/Government lessee or other person making payment	Year	Particulars of dues	Amount Due (in rupees)
	square meter)				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		(3)

	nt paid against lumn (5) Amount paid	Amount paid in words	Details of advance payment (up to 10 years) and amount (in words and	Arrears/ Current	Total amount received
(6)	(7)	(8)	figure) (9)	(10)	(11)

Signature of the person making payment

Signature and designation of receiver

- Note- 1- Every person making payment to Government dues has a right to inspect his khata free of cost.
 - 2- No receipt in a form other than this in respect of payment of Government dues is valid.

FORM-III

In triplicate

[(See rule 3 (6)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Challan Receipt in case of payment though schedule bank

CHALLAN OF MONEY PAID INTO THE TREASURY

(Subsidiary Rule 19 and 22 under treasury rule 10)

(To be presented in triplicate)

By whom Brought	On what Account	Head	Amount (in rupees)
	<u> </u>	Total	

Head of Revenue

Department code and Name	Major Head	Sub-Major Head	Sub-Minor Head	Scheme Head	Purpose
code and tvaine		Ticad	11000	11000	
			,		
Merchant No		Description of	f HOA	Act/	CRN
				Code	NO
Bank Scroll No.	Scroll Date	CIN 1	Number	BRNN	lumber
				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(FOR THE OFFICE USE OF TRESUARY)

Examined	Received	Entered		
	Rs. In figure	Challan No	Challan Date	
	Rupees in words			
	·			
Initial of Accounts	Signature of treasurer	Signature of treasurer		

Signature of bank official receiving payment

SEAL

FORM -IV

(See rule 4)

In the courtof.			••••••		•••••	******
					Case No	*********
	•	Notice of	demand			
(Under section	on 146 of the	Madhya P	radesh Lai	nd Revenu	e Code, 19	59)
					•	
То						N,
Shri	son/daı	ighter/wife	of Shri		res	ident
of	Village/7	own	Ta	ahsil	District	•••••
of this notice, t proceedings,co recovery of the	ercive action		to law will	be taken	against yo	u for
Village/Town	Patwari	Holding	Amount	Penalty	Cost of	Total
	halka No./	Number	of	and	serving	amount
	Sector No.	•	arrears	interest	notice	due
	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(0)	(7)
				l	<u> </u>	L
SEAL				7	Tahsildar	•
Dated						

Where the notice is served personally, the endorsement shall be made as below-

CD :
Signature of Receiver
Name
Mobile Phone Number(if any)
(Relation if other than the addressee)
In case the notice is served through Tahsil,
countersignature of Mal-Zamadar.
Seal Signature
Name
Dated, the20 Designation

Where the notice is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

below-	
Witnesses by whom the house was identified and in whose presence notice was affixed. (1)Signature of witness	The notice served by me by affixing on(name of the place) on theday ofyearin the presence of the witnesses mentioned in margin. Reasons for service of notice by affixing
Mobile phone number(if any)	Signature of server Name
(2)Signature of witness	Dated, the20 Designation
Father's/husband's name Address	
Mobile phone number(if any)	
In case the notice is served through the Tahsil,	countersignature of Mal-Zamadar.
Seal	Signature Name
Dated, the20	Designation

FORM -V (See rule 6)

Niyam, 2020	
In the court of	Case No
Warrant of attachment of mo	ovable property
[Under Section 147 (1) (a) of the Madhya I Code, 1959]	
To	
[Name and office of the person charged with th	e execution of the warrant]
Whereas	count of land revenue as per dered to attach the movable inless the total amount due is
You are further ordered to return thisday of, with an endo and the manner in which it has been executed or v	s warrant on or before the rsement certifying the date on

Schedule-I Details of arrears due

Amount in rupees

Village / Town	Patwari halka No./Sector	Holding No	Pa	articulars of area	ars	Total amount due
	No.		Amount of arrears	Cost of issuing and enforcing process	Penalty and interest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		·				

Schedule-II Details of movable property attached

1		•				٠.	
2	.,	et .			1.		
				:			m 1 '11
SEAL		7	<i>:</i> .				Tahsildar
Dated							•

FORM-VI (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva	Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki Ugahi) Niyam
	2020	4	

n the court of		Case No
	Proclamation of sale of movable	
[under Sectio	n 147 (1) (a)of the Madhya Pradesh	Land Revenue Code, 195
of proceeding	account of arrear of land revenue, pergs due byson/daught	er/wife of resident
before the day	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said proat aton the day of	perty shall be sold by
pefore the day public auction	herein fixed for the sale, the said pro	perty shall be sold by
oublic auction o'clock:- S. No.	herein fixed for the sale, the said pro aton the day of	perty shall be sold by20, at or about
oefore the day oublic auction o'clock:-	herein fixed for the sale, the said pro aton the day of Description of movable property	nperty shall be sold by20, at or about Number of articles
oefore the day oublic auction o'clock:- S. No.	herein fixed for the sale, the said pro aton the day of Description of movable property	nperty shall be sold by20, at or about Number of articles
oefore the day oublic auction o'clock:- S. No.	herein fixed for the sale, the said pro aton the day of Description of movable property	nperty shall be sold by20, at or about Number of articles

FORM -VII

(See rule 7)

	ırt of	· ·		•	Case No.	••••••
Jnder sec	Attachm etions 147 (1) (I the Madhya F	b), 147 (1)	(bb), 147	ovable prop (1) (bbb) ar nue Code, 19	nd 147 (1)	(c) of
***	ereas		aan/day	ahtar/wifeof		resident
wn of	ereas	Tahsil	SOII/uau	District		
has madé	e default in pay	ment of R	.S	on account c	ofd	lue by hin
	tails given in So					
•	-		chedule-I		•	
			of arrears	s due		
					Amount	
Village /	Patwari halka	Holding	Par	ticulars of arear	S	Total amount
Town	No./Sector No.	No				due
* *						
			Amount	Cost of	Penalty and	
			of arrears	issuing and enforcing	interest	
			10	process		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u> </u>						
restraine property persons	s ordered that to d, until further specified in the be and hereby e, gift or otherw	order of t followin in like n	his Court f g schedule	rom transfer by sale, gift	ring or cl or otherv	narging the vise and a
_		S	chedule -II			
e de la companya de l	• -		movable p	roperty)		
Issued	under my hand	and seal o	of this Cou	rt this	Day of	
	•		•			
SEAL				Tahsi	ldar	
Dated				*******	•••••	

FORM-VIII (See rule 8)

The Madhya P	radesh Bhu-Rajasva	Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki	Ugahi)
•	Niyam,	2020			

	•
In the court of	***************************************
	Case No

Proclamation of letting of holding [Under section 147 (1) (bb) and 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas the holding (s) specif	ied belov	w has	(have) bee	n attache	d for
the recovery of the arrears of land re	evenue sj	pecifi	ed in colur	nn (6) ar	nd of
Rson account of cost of					
byson/daughter/wife	of			res	
ofDistrict	•••••				

Amount in rupees

Village/Town	Patwari halka No./ Sector No.	Holding Number	Area (in hectare)	Assessment	Arrears
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	:				

- Note. -1. Arrears of land revenue due on each holding must be separately specified in column (6).
 - 2. If a holding consists of more than one survey number or subdivision it would be open to the officer conducting the lease to lease one or more of such number as may be considered necessary to recover the arrears.

The letting of holding shall be subject to the following terms and conditions: -

- (i) Only "landless persons" as defined in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and the rules framed thereunder, shall be eligible to bid at the auction.
- (ii) The lessee shall not transfer any right in his land or part thereof by sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise and if any such transfer is made, it shall be void.
- (iii) The lessee shall use the land only for agricultural purposes.
- (iv) The lessee shall pay the full assessment of the land during the period of his lease.
- (v) The lessee shall not make any construction of a permanent nature on the land or part thereof.
- (vi) The lessee shall not be entitled to claim any compensation for expenditure incurred by him in connection with improvement in land affected by him during the period of the lease.
- (vii) The lessee shall pay the entire amount of bid money immediately after the auction is knocked down in his favor or he may pay immediately at least 1/4th of the bid money and the rest of the amount shall be paid by him within 15 days of the date of auction.
- (viii) If the remaining amount is not paid by the lessee within the specified period the amount of bid money already deposited shall be forfeited and the auction shall be held afresh.
- (ix) It shall be at the discretion of the Tahsildar to accept the highest bid or not and to lease out the land.
- (x) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.

SEAL	. :	lahsildar
Dated	e de la companya de l	

FORM-IX

(See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Case	No.	
------	-----	--

Lease Deed

[Under section 147 (1) (bb) and 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

							village/town
••••		tahsil			district		***************
mo	re par	ticularly speci	fied in th	e sche	dule anno	exed is	given by the
Tahsild		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					of
			distric	t	to	son	/daughter/wife
of	•••••	resident of	distr	ict, (w	ho is here	einafter	referred to as
lessee)	on the	following term	s and con	ditions			
(•	lessee shall ho			the agricu	ltural ye	earto the
(2) The	lessee shall us	e the land	only fo	or the agri	cultural	purposes.
(e lessee shall not the land or part		ny con	struction	of a pe	rmanent nature

- (4) The lessee shall not be entitled to claim any compensation for expenditure incurred by him in connection with improvement in land affected by him during the period of the lease.
- (5) The lessee shall pay the full assessment of the land from the revenue year following the date of lease.
- (6) The lessee shall not transfer any right in his land or part thereof by sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise and if any such transfer is made, it shall be void.

- (7) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.
- (8) If the lessee does not pay the land revenue on the specified date or commits a breach of any of the conditions specified above, the Tahsildar may enter the land and take possession of the land along with the standing crops (if any) and the Tahsildar shall not be liable to pay any damages or compensation in this regard.

Schedule

Village/Town	Patwari Halka No./Sector No.	Survey No.	Area of land leased out	Assessment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Granted this day	of	20)				•	
						•		Tahsildar
Witness								
1	•••							
2	••••							
I have read a	ind under	stand th	ne cond	itions sp	ecifie	d abo	ve and	agree to
abide by them.								
Witness						. :		
1		•						
2								

Signature of Lessee

FORM-X (See rule 9)

The Madhya Pradesh	Bhu-Rajasva S	Sanhita (Bhu-Rajasva	ki Ugahi)	Niyam,
	. 2	2020			

	•••••			Case No)
	Proclama	tion of sal	e of holding		
[Under section 14	47 (1) (b) of the	Madhya P	radesh Lan	d Revenue C	ode, 1959
Whereas the	holding (s) spe	ecified belo	ow has (hav	e) been attac	hed for the
ecovery of the arro	ears of land rever	nue specifi	ed in columr	n (6) and of Rs	S
ccount of cost of		•			hter/wife
resident of	, Tahs	il Dis	strict	***********	
			.•	. 1 1 -12	1 1 £
Proclamation	is hereby made	that unles	ss the amou	nt due be paid	before u
lay hereby fixed	for the sale, the	e said hol	ding (s) sha	ill be sold ire	ee from a
ncumbrances imp	osed on it (them	and all gi	rants and coi	ntracts made i	n respect
t (them) by publi		on th	ne day of	20	, at
iboutC	clock.			ь .	•
				Amount	in rupe
Village/Town	Patwari Halka	Holding	Area (in	Assessment	Arrears
	No./Sector No.	Number	hectare)		
l		(2)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(' /	(-)	
(1)	(2)	(3)			
Note (i) Ar	rears of land re	venue due			
Note (i) Ar	rears of land re	venue due	on each ho	lding must be	e separate
Note (i) Ar sp (ii) If	rears of land receified in column	venue due n (6).	on each ho	lding must be	e separate
Note (i) Ar sp (ii) If	rears of land receified in column a holding convision it would be	venue due n (6). sists of m	on each ho	lding must be e survey numeronducting the	e separate
Note (i) Ar sp (ii) If div	rears of land receified in column a holding convision it would be or more of su	venue due n (6). sists of more open to ach numbe	on each ho	lding must be e survey numeronducting the	e separate
Note (i) Ar sp (ii) If div	rears of land receified in column a holding convision it would be	venue due n (6). sists of more open to ach numbe	on each ho	lding must be e survey numeronducting the	e separate
Note (i) Ar sp (ii) If div	rears of land receified in column a holding convision it would be or more of su	venue due n (6). sists of more open to ach numbe	on each ho	lding must be e survey numeronducting the	e separate

FORM-XI (See rule 9)

			Case No	•.
	Proclamation	n of sale of immovabl	e property	
[Unde	er Section 147 (1)	(c) of the Madhya Pra	adesh Land Revenue	
		Code, 1959)		
Whe	reas the immovable	le property described h	pelow has been attached f	or
the reco	overy of Rs	on account	ofdue l	by
	son/daughter/wife	of, resident	of, Tahsil	••••
	, plus Rs	on account of cost	of issuing and enforcing	ng
process.	1in bounds	r, made that unless the	e total amount aforesaid	he
id bafana	the day barain fix	and for the sale the sai	id property shall be sold l	hv
			id property shall be sold laboutO'clock.	by
- public auct	ion at on th	ne day of 20, at or a	boutO'clock.	ė.
- public auct	ion at on the sale extends only	ne day of 20, at or a		ė.
public auct The	ion at on the sale extends only property:	ne day of 20, at or a	boutO'clock.	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property:	ne day of 20, at or a to the right, title and i	aboutO'clock. nterest of the said default	ė.
public auct The	ion at on the sale extends only property:	to the right, title and i Details of property Assessment	aboutO'clock. Interest of the said default Note of any known	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property:	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Assessment (if any)	aboutO'clock. nterest of the said default	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property: Description	to the right, title and i Details of property Assessment	aboutO'clock. Interest of the said default Note of any known	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property:	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Details of property Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc.	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property: Description	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Details of property Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc.	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property: Description	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Details of property Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc. (4)	ė.
public auct The in the said	ion at on the sale extends only property: Description (2)	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Details of property Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc.	ė.
public auct The in the said S. No. (1)	ion at on the sale extends only property: Description (2)	ne day of 20, at or a to the right, title and in the day of property Details of property Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc. (4)	ė.

FORM-XII (See rule 10)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva	ki	Ugahi)
Niyam, 2020		

Th	e Madhya	Pradesh Bhu-Ra Ni	iyam, 2020	Bnu-Kajasv	а кі Одаш)
In the	court of			Case	No
. []	Under Sect	tion 147 (1) (b) of	rtificate for land f the Madhya Pi Code, 1959]		l Revenue
village of the of	eT holding sp 20 Such sale	that	ricthas to a sale by public property to the all grants and co	e purchaser	eld on the, day free from all
Villa	age/Town	Patwari halka No./Sector No.	Holding Number	Area (in hectare)	Assessment (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Details of Survey Nos./Block Nos./Plot Nos. comprising the holding		Name of re Bhumisy	1	Amount for which purchased (in rupees)
		(6)	(7)		(8)
SF	EAL		· I	Tahsildar	
	ated	•••••			••••••

FORM-XIII (See rule 10)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva	a Sanhita (Bhu-Rajasva	ki Ugahi)
Niyam		

the co					•
	urt of	•••••••	•••••••	Case I	 No
	Sale (certificate	of Immova	able property	
ΠJn	der Section 3	147 (1) (c) of	f the Madhy	a Pradesh Land	Revenue
[On			code, 1959]		
uch sa	ale transferr	ed to the per/wife of Deta	ourchaser th		y:
S. No.	Description	Place	Assessment	Name of recorded	Amount for which purchased
ĺ		(where the property is	(if any) (in rupees)	owner/ Bhumiswami	(in rupees)
		situated)			
(1)	(2)	• •	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	situated)	(4)	(5)	

FORM-XIV (See rule 12)

and the second second second	The state of the s	•	. NT
$\mathcal{F}_{\mathbf{k}} = \{ \mathbf{k} \in \mathcal{F}_{\mathbf{k}} : \mathbf{k} \in \mathcal{F}_{\mathbf{k}} \}$		Cas	se No
Warra	nt of attachment of ba 47 (2) of the Madhya	ank account / bank l Prodesh Land Rever	ocker we Code, 1959l
Under section 1	47 (2) of the Madnya	Tradesh Land Rever	,
Γο			
[Name and offi	ce of the person charge	ed with the execution	of the warrant]
** 71	son/daughter/wife of	residentof	·
Whereas	, District	has m	ade default in
l ansıl	, District	land revenue as ner	details given in
payment of Rs	on account of	land revenue as per	nt/bank locker of
Schedule-I. You	are hereby ordered to a	attach the bank accoun	and aga the total
he said person a	s per the details give	n in Schedule-11 and	uniess the total
mount due is pai	id to hold the same un	til further orders from	this Court. This
order restrains yo	u from opening anothe	er bank account or bar	nk locker of such
person.			
37	Such as and and to re	eturn this warrant o	n or before the
You are	further ordered to re	eturn this warrant o	n or before the
day	of,with	an endorsement certi	fying the date on
day and the manner	further ordered to re of,with in which it has bee	an endorsement certi	fying the date on
and the manner	of,with	an endorsement certi	fying the date on
day and the manner	of,with in which it has bee	an endorsement certi n executed or why	fying the date on
and the manner	of,with in which it has bee	an endorsement certien executed or why	fying the date on
day and the manner	of,with in which it has bee	an endorsement certion executed or why e-I arrears due	fying the date on
and the manner executed:-	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and	e-I arrears due Penalty and interest	fying the date on it has not been
and the manner executed:-	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the	an endorsement certion executed or why e-I arrears due Amou	fying the date on it has not been not in rupees
day and the manner executed:- Amount of arears	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process	e-I arrears due Penalty and interest (if any)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in
and the manner executed:-	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and	e-I arrears due Penalty and interest	fying the date on it has not been not in rupees
day and the manner executed:- Amount of arears	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process (2)	e-I arrears due Penalty and interest (if any) (3)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in
and the manner executed:- Amount of arears (1)	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process (2) Schedule	e-I arrears due Penalty and interest (if any) (3)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in
and the manner executed:- Amount of arears (1) Details of Bank 1	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process (2) Schedule Lockers	e-I arrears due Penalty and interest (if any) (3)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in
and the manner executed:- Amount of arears (1) Details of Bank 1	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process (2) Schedule	e-I arrears due Penalty and interest (if any) (3)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in
and the manner executed:- Amount of arears (1) Details of Bank 1	of,with in which it has bee Schedul Particulars of the Cost of issuing and enforcing process (2) Schedule Lockers	e-I arrears due Penalty and interest (if any) (3)	fying the date on it has not been not been not been not been not been not been not in rupees not in

FORM - XV

(See Rule 13)

In the Court of Sub-Divisional Officer	***************************************
	Case No
Vs.	
Notice	
[Under section 147 (3) of the Madhya Pradesh I	Land Revenue Code, 1959]
To,	
Whereas, you have remained in default of amounting to Rs) inspite of the
Now, therefore, you are hereby called upon to the day of to show cau committed to civil prison for failure to deposit the s	use why you should not be
Given under my hand and the seal ofof20	the Court, this day of
SEAL	Sub-Divisional Officer
DateSub-Division	District

FORM - XVI (See Rule 13)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020 In the Court of Sub-Divisional Officer				
In the Court of Sub-Divisional Officer	Case no / 20			
Applicant				
Versus				
WARRANT O	FARREST			
[Issued in exercise of powers under sub-section Land Revenue Code, 195	(3) of section 147 of the Madhya Pradesh			
To				
(Name and designation of the person who is to	execute the warrant)			
WHEREAS(name	of warantee) son / daughter / wife of (full			
address) has remained in default of paym (Rupees) is dated) is	ent of land revenue amounting to Rs. nspite of Notice of demand No			
before this Court on by notice dated not be committed to civil prision for failure to	deposit the said amount.			
And whereas, the said had also continuate and also cont	as failed to appear before this Court on the nued to remain in default of payment of the			
(name of warantee) and bring him / her be unless he / she hands over to you proof of havi	ng paid the said amount.			
You are further ordered to return 20 with an endorsement certifying the da executed or the reason why it has not been exe	n this warrant on or before the day of ay on and the manner in which it has been			
Given under my hand and the seal of the Court	t, this20			
SEAL				
Dated, the	Sub-Division			

FORM - XVII

(See Rule 13)

In the Court of Sub-Divisional Officer				
Case No				
Vs.				
Warrant of committal to Jail				
[Under section 147 (3) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]				
Γο,				
The Officer –in-charge of the Jail at				
Whereas remained in default of payment of land revenue amounting to Rs. (Rupees) inspite of the Notice of demand No dated served on him / her by the Tahsildar, Tahsil, district;				
And whereas was called upon to appear before this Court on vide Notice No dated;				
And whereas, after having appeared/brought before this Court has not satisfied this Court as to why he / she should not be committed to civil prison on this account;				
Now, therefore, you are hereby commanded and required to take and receive the said				
Given under my hand and the seal of the Court, this day ofof20				
SEAL Sub-Divisional Officer				
Date Sub-Division				
District				

FORM - XVIII

(See Rule 13)

In the Court of Sub-Divisional Officer				
	Case No			
Vs.				
[Uı	Order for Release ler section 147 (5) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]			
To,	The Officer –in-charge of the Jail at			
	Under order passed this day, you are hereby directed to set now in your custody unless he is liable to be detained for other cause.			
	Given under my hand and the seal of the Court, this day of			
	Date			
	Sub-Divisional Officer, Sub-Division District			

To,

FORM - XIX

(See Rule 14)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Application for recovery of sums as an arrear of land revenue [Under section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

	The Tahsildar/ Revenue Officer			

	It has been decided that the following sums show arrear of land revenue, details of which are given below as an arrear of land revenue and deposit in the account la at item no. 7 below: -	. Kindly recover these		
	1. Name of the Department/ the Competent Authority to whom the sum is due			
	2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due			
	3. The particulars of sums due			
	4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue			
	5. The process by which the sum may be recovered			
	6. Description of the property against which the process may be executed			
٠.	7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery 8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case			
	may be has been attached?			
	SEAL Signature of Competent Authority Date Name Designation Receipt/Acknowledgment			
То				

	The application submitted above for recovery of s from is hereby acknowledged			
SEA				
Date	3:	ar/Revenue Officer		
	ransiid	al/Nevenue Officei		

FORM - XX

(See Rule 15)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Application Form for reduction of and revenue

[Under section 161(2)of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

1. Applicant's name and address (give full name).	
2. Mother's/Father's/Husband's name	
3. Full address	
(Including Mobile Phone No.)	
4. Description of land	
(1) Holding No.	
(2) Survey No.	
(3) Area	
(4) Land revenue	
(5) Name of the Village (where land is situated)	
(6) Patwari Halka No./Sector No.	
(7) TahsilDistrict	
5. Grounds on which reduction in land revenue is sough	t

Dated.....Signature of the applicant

Documents to be attached-

- 1. Copy of Record of Rights or latest Jamabandi of the holding
- 2. Relevant entries in the Nistar Patrak or Village Wajib-ul-arz, as the case may be
- 3. Survey Numbers of irrigated land with source of irrigation
- 4. Any other relevant documents

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.